भाग ख
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय VI
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

अध्याय VI: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

6.1 प्रस्तावना

यह अध्याय बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में वे सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल है। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम एवं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी सा0क्षे0उ0 के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को, इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में मार्च 2022 तक सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 77[1] थी, जिसमें 37 कार्यशील सा0क्षे0उ0 एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थे। जबकि विगत तीन वर्षों यथा 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस अध्याय में कुल 16 सा0क्षे0उ0 (15 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) को शामिल किया गया है। शेष 61[2] सा0क्षे0उ0, जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाये थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

6.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

6.2.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अर्न्तगत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं, जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

---

[1] राज्य में सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या मार्च 2021 तक 79 थी। वर्ष 2021–22 के दौरान, 79 सा0क्षे0उ0 में से दो सा0क्षे0उ0 यथा बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) तथा भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को शामिल नहीं किया गया है।

[2] कुल 61 सा0क्षे0उ0 में से, आठ अकार्यशील सा0क्षे0उ0 सहित नौ सा0क्षे0उ0 ने अपने प्रथम लेखे को प्रस्तुत/अन्तिमीकृत नहीं किया था तथा शेष 52 सा0क्षे0उ0, जिसमें 36 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 भी शामिल हैं, के लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बकाया थे।

कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

6.2.2 इस अध्याय में क्या है

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होती है, को दर्शाया गया है।

6.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या

31 मार्च 2022 को, 77 सा0क्षे0उ0[3] में से इस अध्याय में शामिल 16 सा0क्षे0उ0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश एवं प्रकृति को **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1

इस अध्याय में शामिल सा0क्षे0उ0 का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

सा0क्षे0उ0 की प्रकृति	सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	अध्याय में शामिल सा0क्षे0उ0 की संख्या वर्ष तक के लेखे				इस अध्याय में शामिल नहीं किए गए सा0क्षे0उ0 की संख्या	बकाया लेखाओं वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या
		2021–22	2020–21	2019–20	कुल		
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	30	1	8	5	14	16	29
कार्यशील सांविधिक निगम	3	0	0	1	1	2	3
सरकारी कम्पनियों / निगमों की कुल संख्या	**33**	**1**	**8**	**6**	**15**	**18**	**32**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	0	0	0	0	4	4
कुल कार्यशील सा0क्षे0उ0	**37**	**1**	**8**	**6**	**15**	**22**	**36**
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	40	0	1[4]	0	1	39	40
अकार्यशील सांविधिक निगमें	-	-	-	-	-	-	-
कुल अकार्यशील सा0क्षे0उ0	**40**	**0**	**1**	**0**	**1**	**39**	**40**
कुल	**77**	**1**	**9**	**6**	**16**[5]	**61**	**76**

(स्रोत : सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 16 सा0क्षे0उ0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है। इस अध्याय में 61 सा0क्षे0उ0 शामिल नहीं है जो **परिशिष्ट 6.2** में दर्शाए गए हैं।

6.3 अंश पूँजी धारिता

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है :

[3] 70 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ।

[4] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[5] प्रक्षेत्र – ऊर्जा : 8; गैर–ऊर्जा : 8 ।

चार्ट 6.1
सा0क्षे0उ0 में अंश पूँजी निवेश

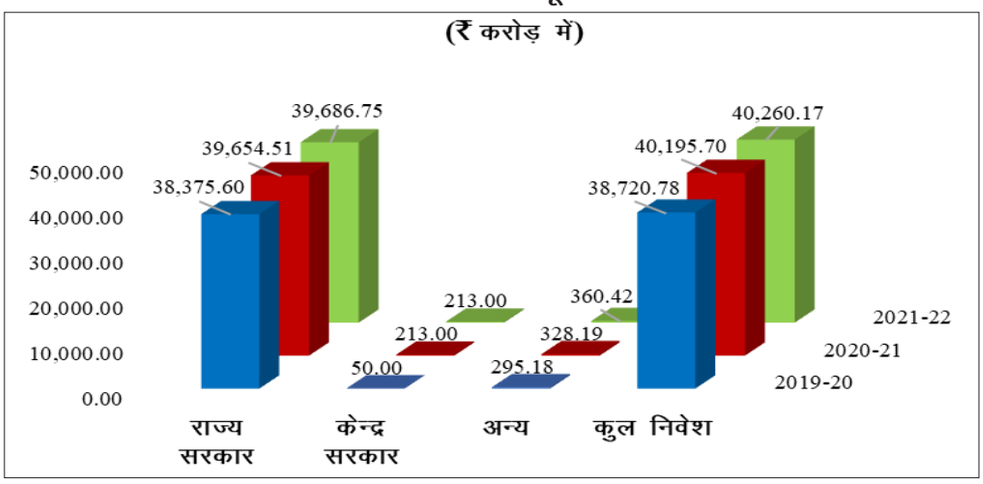

(स्रोत : सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

चार्ट 6.1 से यह देखा जा सकता है कि अंश पूँजी में राज्य सरकार की धारिता 2019–20 के ₹ 38,375.60 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 39,686.75 करोड़ हो गई जबकि कुल निवेश 2019–20 के ₹ 38,720.78 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 40,260.17 करोड़ हो गया।

6.4 31 मार्च 2022 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

31 मार्च 2022 को 16 सा0क्षे0उ0 में से सात[6] में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 12,429.50 करोड़ थे। शेष नौ सा0क्षे0उ0 के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2022 तक नहीं थे। सा0क्षे0उ0 के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है :

तालिका 6.2
सा0क्षे0उ0 में दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण का स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य सरकार	541.25	619.30	619.30
केन्द्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य (रूड़ल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक एवं बिहार अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से लिए गए ऋण शामिल)	5,811.63	11,743.93	11,810.20
कुल निवेश	**6,352.88**	**12,363.23**	**12,429.50**

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

[6] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ए0आई0डी0सी0एल0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 359.85 करोड़ (58.11 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 259.45 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से ऋणों (₹ 11,810.20 करोड़) का 100 प्रतिशत ऊर्जा कम्पनियों से संबंधित था। ऊर्जा क्षेत्र या गैर ऊर्जा क्षेत्र के किसी भी सा0क्षे0उ0 द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त दीर्घावधि ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

6.5 सा0क्षे0उ0 द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या सात थी। अर्जित लाभ वर्ष 2020–21 के ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया था। 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सात सा0क्षे0उ0 का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था। इन सात सा0क्षे0उ0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2020–21 के 2.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 2.65 प्रतिशत हो गया।

2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या **चार्ट 6.2** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 6.2

विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)

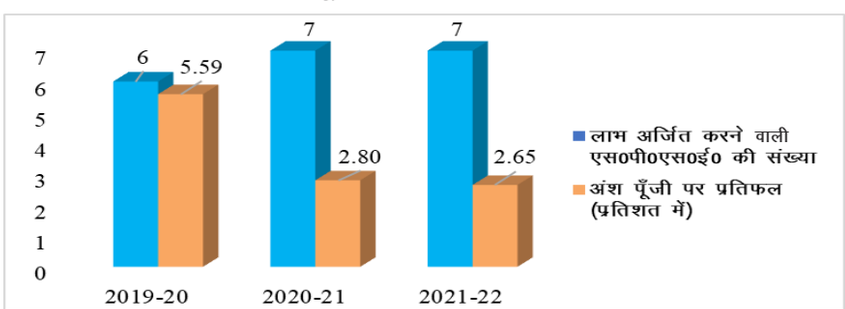

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

6.6 हानि वहन करनेवाले सा0क्षे0उ0

2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या पाँच से छः के मध्य रही, जिसे **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3

2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या

वित्तीय वर्ष	हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[7] (₹ करोड़ में)
2019-20	6	2,961.24	19,629.17	9,312.52
2020-21	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09
2021-22	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

[7] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियां तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से और अंश प्रीमियम लेखे से बनाए गये सभी संचय किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

6.7 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष से विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 6.4

अकार्यशील सा0क्षे0उ0

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	42	42	40[8]
उपरोक्त में से, समापन की प्रक्रिया के अधीन सा0क्षे0उ0 की संख्या	5	5	5

(स्रोतः बिहार सरकार पर संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा परिशिष्ट 6.2 में शामिल सा0क्षे0उ0 से संबंधित जानकारी के आधार पर संकलित)

2021–22 में दर्शाये गये सभी 40 सा0क्षे0उ0 पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थे।

6.8 सी0ए0जी0 की पर्यवेक्षण भूमिका

6.8.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सी0ए0जी0 के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रतिवेदन निर्गत या उस पर टिप्पणी निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

6.8.2 सी0ए0जी0 द्वारा राज्य सा0क्षे0उ0 के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 139(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर सी0ए0जी0 द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना है।

6.9 सा0क्षे0उ0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक कम्पनी को समय पर अपने शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (ए0जी0एम0) आयोजित करनी चाहिए। अग्रेतर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उक्त ए0जी0एम0 में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6.9.1 ससमय लेखाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की ए0जी0एम0 के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है तथा उसे तैयार करने के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक प्रतिवेदन टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों

[8] वर्ष 2021–22 के दौरान, दो सा0क्षे0उ0 यथा बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) और भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को हटा दिया गया।

को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना अपेक्षित है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगले ए0जी0एम0 की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0एम0 में विचार के लिए प्रस्तुत किये जाने है।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कम्पनी के निदेशकों सहित, जिम्मेदार व्यक्तियों पर, जुर्माना तथा कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 31 जुलाई 2022, तक विभिन्न सा0क्षे0उ0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे, जिसके ब्यौरे अनुवर्त्ती कंडिकाओं में दिये गये है।

6.9.2 सा0क्षे0उ0 द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, 77 सा0क्षे0उ0 में से, सभी राज्य सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से वर्ष 2021–22 के लेखे 31 जुलाई 2022 तक प्राप्य थे। केवल एक[9] सरकारी कम्पनी ने 31 जुलाई 2022 से पूर्व वर्ष 2021–22 का लेखा सी0ए0जी0 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। शेष 69 राज्य सरकार की कम्पनियों, तीन सांविधिक निगम एवं चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 76 सा0क्षे0उ0) के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए, सी0ए0जी0, एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है एवं सी0ए0जी0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लेखे तथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक के लेखे, 31 जुलाई 2022 तक प्रतिक्षित थे।

6.10 सी0ए0जी0 की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम

6.10.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अर्न्तगत सा0क्षे0उ0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा के पश्चात् अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, 29 लेखाओं (23 गैर ऊर्जा एवं छः ऊर्जा) को अग्रेषित किया गया। सी0ए0जी0 द्वारा सात लेखाओं पर गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एन0आर0सी0), एक लेखा पर टिप्पणी, तीन लेखाओं पर अस्वीकरण (डिस्क्लेमर), दो लेखाओं पर पृथक

[9] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया गया तथा शेष सा0क्षे0उ0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। 31 जुलाई 2022 तक, केवल एक[10] राज्य सरकारी कम्पनी से वर्ष 2021–22 का लेखा प्राप्त किया गया था।

अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, सी0ए0जी0 द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(6)(बी0) के अन्तर्गत 18[11] लेखाओं (13 गैर ऊर्जा एवं पाँच ऊर्जा) पर डिस्क्लेमर तथा 14 लेखाओं (12 गैर ऊर्जा एवं दो ऊर्जा) पर टिप्पणियाँ निर्गत की गयी।

6.10.2 सा0क्षे0उ0 पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक के रूप में निर्गत सी0ए0जी0 की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

इस अध्याय में शामिल सा0क्षे0उ0 की सूची जिन पर अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी, उन्हें **तालिका 6.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5
इस अध्याय में शामिल सा0क्षे0उ0 की सूची जिसपर सी0ए0जी0 द्वारा टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी

क्र0 सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	लेखा का वर्ष
1	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019-20
2	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20
4	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2020-21

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के लेखाओं पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत किये गये टिप्पणियों के आधार पर संकलित।)

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निर्गत की गई, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 31.23 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 270.69 करोड़ था **(परिशिष्ट 6.3)**।

6.11 लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

इस प्रतिवेदन के लिए, सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका तथा पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं संबंधित प्रशासी विभाग के अपर मुख्य/प्रधान सचिव को इस आग्रह के साथ कि इनके जवाब दो सप्ताह के अंदर दिए जाए; निर्गत किए गए थे। हालाँकि, केवल एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका तथा एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका का जवाब राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

6.12 सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के प्रतिवेदन का अनुपालन

कोपू ने राज्य विधानमंडल को एक अनुशंसा (2021–22) के साथ सात प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया था। हालाँकि, एक अनुशंसा (सितम्बर 2022) के संबंध में कोई कार्यवाही टिप्पणी (ए0टी0एन0) प्राप्त नहीं हुई, जिसे **तालिका 6.6** में दर्शाया गया है।

[10] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

[11] इन आँकड़ो में वे लेखे भी शामिल हैं जो कि अक्टूबर 2021 से पूर्व प्राप्त हुए एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखे पर प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के मध्य निर्गत किये गये।

तालिका 6.6
कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ ए0टी0एन0 प्राप्त नहीं हुए
2019-20	05	0	0
2020-21	01	0	0
2021-22	01	1	1
कुल	**07**	**1**	**1**

(स्रोतः सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संकलित)